पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित) को अपना पक्ष रखने का समय प्रदान किया

15 जून तक अपने जवाब से अवगत कराये

लखनऊः 2 जून, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित), डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को उनके विरूद्ध गठित अंतिम जांच समिति की रिपोर्ट पर 15 जून, 2017 तक उनका पक्ष रखने के लिये समय दिया है। श्री तोमर कुलसचिव (निलंबित) द्वारा प्रतिउत्तर दिये जाने के बाद कुलाधिपति द्वारा उसका परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित), डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जाँच हेतु गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 31 मई, 2017 को अपनी 483 पृष्ठीय अंतिम जांच रिपोर्ट कुलाधिपति को सौंपी थी।

अंजुम/ललित/राजभवन (211/2)